International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

शिक्षा का अधिकार - एक नई परिभाषा एवं कुछ चुनौतियाँ

श्रीमति विजया कुशवाह
शोधार्थी, सतत् अध्ययन शाला
विक्रम विश्व विद्यालय, उज्जैन

सारांश -

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ लागू होने के सात वर्ष उपरांत प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार का क्रियांवयन विद्यालयों में कितने प्रभावपूर्ण रुप से किया जा रहा है तथा शिक्षकों की स्थिति एवं गुणवत्ता कितनी प्रभावी है, साथ ही संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में शोध लेख लिखा गया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ रहीं है। जिसका वर्णन प्रस्तुत शोध लेख में किया जा रहा है।

१. प्रस्तावना -

१६ वर्ष के लम्बें इन्तजार के बाद देश के ६ से १४ वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का कानूनी अधिकार मिल गया है। यह अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ के द्वारा प्राप्त हुआ है। इस अधिनियम को शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए महत्वपूर्ण औजार माना जा रहा है। इसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना उनका मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में डेढ़ दशक से अधिक समय तक देश के अनेक स्वसेवी संस्थाओं ने संघर्ष किया और कानूनी लडाई लडी, तब कही जाकर उन्हें यह सफलता मिली है। ६ से १४ वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का कानून उनका मौलिक अधिकार बन गया है, लेकिन वास्तव में सरकार इस मामले में कितनी सफल होगी है, यह भविष्य ही बताएगा।

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

२. शिक्षा की भूमिका -

देश तथा समाज के लिए कुशल, सुयोग्य, समर्पित और उपयोगी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का शिक्षा एक प्रभावशाली साधन है। आज जहाँ तेजी से सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है वही हमारी सामाजिक रुढीवादिता एवं संकुचित दृष्टिकोण के कारण हमारी गिनती शिक्षा के कारण पिछडे देशों के साथ की जाती है। विगत कुछ वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। आज भी अभिभावक शिक्षा को महत्वपूर्ण न समझकर बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय भेजने से हिचकिचाते है। बालिकाओं को बालकों के समान अवसर नही दिया जाता है और उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। बालिकाओं को स्कूल न भेजना, अपने भाई-बहन को संभालना और घरेलू कामों में लगाए रहने की परम्परा आज भी चली आ रही है। ग्रामिण क्षत्रों में यह समस्या और व्यापक स्तर पर विद्यमान है।

शिक्षा का सीधा प्रभाव आबादी, बृद्धि दर, बाल जन्म दर, बाल एवं शच्चा मृत्यु दर, महिला प्रजनन दर (प्रतिमहिला संतान), सामान्य स्वास्थ्य का स्तर, जीवन प्रत्यासा, बालिका नामांकन एवं ठहराव, राष्ट्र के विकास और आधुनिकीकरण आदि पडता है। शिक्षित समाज धनोपार्जन से राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ करता है तथा परिवार के सुख में योगदान देता है। आज यह सर्वमान्य रुप से स्वीकार किया जा चुका है कि शिक्षित नारी अपने पुरे परिवार को शिक्षित करती है तथा साथ ही वह अपने परिवार को सही रास्ते पर ले कर चलती है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज में विद्यमान रुढिवादिताओं को तोडते हुए बालक एवं बालिकाओं को तमाम शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराकर परिवार के साथ अपने देश एवं विश्व को आगे बढाएँ।

३. शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ -

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

सभी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो सके इसके लिए भारत सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ पारित किया है जिसे १ अप्रैल २०१० से पूरे देश में लागू किया गया है। इस कानून के बाद शिक्षा प्रत्येक ६ से १४ वर्ष वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार हो गई है। जिसके अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान कानून के माध्यम से किया गया है।

इस कानून के लागू होते ही सरकार के लिए उन बच्चों को शिक्षित करना जरुरी हो गया है जो ६ से १४ वर्ष वर्ग के आते है, जिसके अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ प्रत्येक विद्यालय को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शिक्षक उपलब्ध कराने तथा उनके समय-समय पर प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है।

संसाधनों की उपलब्धता -

भौतिक संसाधन के अर्तगत प्रत्येक विद्यालय में एक कार्यालय - स्टोर प्रधानाध्यापक कक्ष की उपलब्धता के साथ प्रतिशिक्षक के अनुसार कम से कम एक कक्षा कक्ष सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना शामिल है। मध्यान भोजन के लिए किचन, खेल का मैदान तथा विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए चाहर दिवारी की व्यवस्था का प्रावधान है। नए कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए सीटे निर्धारित की गई है।

आज स्थिति यह है कि अधिकांश विद्यालय २ या ३ कमरों में चल रहे है, वही इन छोटे-छोटे कमरों में २-२ कक्षाए एक साथ लगाना मजबूरी हो गया है, जो कदापि उपयुक्त नहीं है, बल्कि एक गंभीर समस्या और चिंता का विषय है। राज्य सरकार इस कानून के माध्यम से प्रदेश के बच्चों को क्या और कैसी शिक्षा देगी। यह कह पाना मुश्किल है।

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

पिछले वर्षों में देखा यह गया है कि जिन बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश तो दिलवा दिया गया है परन्तु वे प्राथमिक शिक्षा लेने तक लगातार कक्षाओं में कम ही आ पाते है। इसके अलावा अनेक बच्चें पारिवारिक, सामाजिक और अन्य कारणों से शाला छोडने पर विवष हो जाते है। ऐसे में सबकों को शिक्षा देने का कानून कितना सफल हो पाएगा या हो रहा है, यह गंभीर और चिंता का विषय है।

बच्चें विद्यालय में नामांकित हो तथा वे नियमित विद्यालय आए को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन की बात कही गई है जो विद्यालय विकास की योजना का निर्माण करेगी। यह समिति विद्यालय में उपलब्ध राशि की उपयोगिता की मॉनीटरिंग के साथ अन्य कार्य की मॉनीटरिंग भी करेगी।

४. शिक्षको की गुणवत्ता एवं शिक्षण -

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनका समय-समय पर प्रशिक्षण तथा गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्त (जनगणना, आपदा प्रबंधन एवं चुनाव को छोडकर) रखने का प्रावधान किया गया है। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को तर्क संगत बनाने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात प्राथमिक स्तर पर ६० बच्चों तक दो शिक्षक, ६१ से ९० बच्चों तक तीन शिक्षक, ९१ से १२० बच्चों तक चार शिक्षक, १२० से २०० बच्चों तक पॉच शिक्षक तक, १५० से अधिक बच्चों पर एक पूर्णकालिन प्रधानाध्यापक देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम एक शिक्षक प्रति कक्षा (न्यूनतम तीन शिक्षक) विज्ञान एवं गणित के लिए न्यूनतम एक, सामाजिक विज्ञान एंव भाषा के लिए एक-एक शिक्षक तथा ३५ बच्चों पर एक पूर्णकालिन प्रधानाध्यापक देने का प्रावधान किया गया है। कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए अंशकालिन शिक्षक । इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय और खेल के संसाधन उपलब्ध कराना भी तय किया गया है। इस बात पर भी जोर

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

दिया गया है कि शिक्षकों के खाली पदों को समय पर भरा जाए तथा कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन में शामिल न हो पाए।

विद्यालय नियमित संचालित हो तथा उनमें नियमित पढाई हो सके इसके लिए प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम १०० दिवस तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर २२० दिवस तय किये गए है। प्रति सप्ताह ४५ कार्य घण्टें निर्धारित किए गए है, जिनमें शिक्षण हेतु तैयारी का समय शामिल है। शिक्षक को नियमित तथा समयबद्ध होने के साथ समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बच्चें की योग्यता का परीक्षण करना तथा आवश्कता अनुसार अतिरिक्त समय देकर बच्चें की कठिनाई को दूर करना भी शिक्षा के अधिकार दस्तावेज में शामिल किया गया है पाठ्यक्रम एंव मूल्यांकन की व्यवस्था अकादमिक समूह द्वारा तय किय जाने, जिसमें बच्चें के समग्र विकास, मूल्य, बच्चें के ज्ञान, बच्चें कार्य क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखा जा सके। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के साथ कक्षा ८ तक किसी प्रकार की कोई भी बोर्ड परिक्षा से बच्चें के न गुजरने का प्रावधान किया गया है। शिक्षण का माध्यम मातृ भाषा में करने तथा गतिविधियों के माध्यम से सिखाने पर बल दिया गया है।

आज भी अनेक विद्यालयों में शिक्षकों (विशेष कर विषय शिक्षकों) की संख्या काफी कम है वही दूसरी ओर कुछ विद्यालय ऐसे भी है जो शिक्षको के अभाव में बंद से पडे है। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति न होने के कारण विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यंत कमी है तथा वह निरंतर बढती जा रही है, क्योंकि वर्षवार शिक्षक सेवा निवृत्त होते जा रहे है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थी शिक्षक अनुपात बहुत अधिक है जिसके कारण विद्यालय में गुणवत्ता परक शिक्षा एवं शैक्षिक वातावरण का अभाव है। शिक्षकों के अभाव में बच्चें नियमित विद्यालय नही आते। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में विषयानुसार योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का पर्याप्त संख्या में न होने के कारण बच्चों की नियमितता तथा गुणवत्ता शिक्षा बाधित होती है।

५. अभिभावकों की उदासीनता –

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

आज भी कई अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता न होने के कारण वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते और उन्हें अर्थोपार्जन से लगा देते है। इसके अलावा अपने छोटे भाई-बहिन की देखभाल भी करते है एवं अर्थोपार्जन से जुड जाते है, जिस कारण विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति नहीं रहती, जिससे उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालय दुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है जो बाढ जैसी विपदाओं का सामना करते है ऐसी स्थिति में विद्यालय बहुत कम दिन चल पाता है। पर्वतीय क्षेत्र में विद्यालयों के होने के कारण अभिभावक संकटपूर्ण मार्गो के कारण भी अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते है।

अधिनियम की धारा ६ में कानून बनाकर तो सरकार और निकायों के लिए यह जिम्मेदारी सौपी गई है कि एक बस्ती के निर्धारित दूरी पर स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जबकि हकिकत में ऐसा लागू नहीं हो पा रहा है, अनेक ग्रामीण इलाकों में शासकीय स्कूल आज भी बहुत दूर है। जबकि नियम बनाते समय यह तय किया गया था कि निर्धारित सीमा में तीन वर्ष के अंदर ही बस्ती को स्कूल की सुविधा मिल जाएगी।

जबकि अधिनियम की धारा ८ में केन्द्र और राज्य के दायित्वों का निर्धारण करते हुए कहा गया है कि सरकार को स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराना, हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाना, आवश्यक शिक्षकों की व्यवस्था करना एवं प्राथमिक संसाधन जुटाना आदि। इसके साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और पढाए जा रहे पाठ्यक्रम पर चर्चा करना एवं निर्धारित करना।

६. निजी विद्यालयों की स्थिति -

ऐसा नहीं है कि प्रायवेट शालाओं की हालत बहुत अच्छी है। अधिकांश प्रायवेट स्कूल बहुत छोटी-छोटी जगह पर बने है और उनमें बच्चें आवश्कता से अधिक है। शिक्षक पढाते समय कोई नए तरीके नहीं इस्तेमाल करते और बच्चों का ज्यादा ध्यान भी नहीं रखते। यह नहीं कह सकते की इन स्कूलों में, अभी की शिक्षा नितियों व दस्तावेजों में प्रतिबंधित शिक्षा की समझ के आधार

पर शिक्षण हो रहा है। इन स्कूलों में माता-पिता की समझ, शिक्षा के संदर्भ में इच्छाएँ और उनकी अवधारणाओं की समझ के लिए जगह भी नहीं है, फिर भी सरकारी स्कूल छोड़ माता-पिता अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेज रहे हैं। पिछले कई वर्षों में न केवल इन स्कूलों की संख्या बढ़ी है वरन इनमें से प्रत्येक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। बहुत से प्रयासों के बावजूद सरकारी स्कूलों की छवि व उनमें पढ़ने वाले बच्चों के साथ व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

अब शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण और पैसा कमाने का जरिया बन गई है। आज स्थिति यह है कि जहाँ शिक्षा पद्धती देश में वर्ग भेद को मिटाने, जातिवाद खत्म करने का माध्यम बनना चाहिए था वह इन वर्गों की खाई को और बढाने का कारण बन रही है। जहाँ संपन्न लोगों के बच्चें निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्यन करते है तो गरीब दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गो के बच्चें उन्ही सरकारी स्कूल में पढने को मजबूर है जहाँ प्राथमिक साधन और सुविधाओं का अभाव हमेशा बना रहता है।

शिक्षा में निजी स्कूलों और व्यवसायिक घरानों के प्रवेश की वजह से आए दिन गली मोहल्ले से लेकर, बड़े-बड़े शहरों में अंग्रेजी माध्यम के छोटे-छोटे स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक खुलते जा रहे है। निजी शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य समाज को शिक्षित करना कम बल्कि भारी-भरकम फीस के नाम पर अच्छी खासी कमाई करना ही मुख्य उद्देश्य है। आज भी देश में गरीबों की संख्या ही अधिक है। ऐसे में देश के बहुसंख्यक बच्चें शिक्षा से वंचित ही रहते है चाहे इसके लिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान चलाए, किन्तु हकीकत में सब को शिक्षा कहां मिल पाती है ? जितनी संख्या में निजी स्कूल खुलते जा रहे है, तो वही हजारों की संख्या में सरकारी स्कूल जो गरीब, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा के एक मात्र माध्यम होते है वे बंद होते जा रहे है।

७. शिक्षा का अधिकार-एक चुनौती -

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

इन सुविधाओं के लिए योजना बनाने व इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के बाद २००९ अधिनियम बहुत से लोगों के अनुसार कुछ भी नया नहीं देता।

इतने नियम कानून बनानें के बावजूद हकीकत यह है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने वाले शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इसी कारण शहरी तो ठीक बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढाना उचित नहीं मानते, उनका कहना है कि जिन सरकारी स्कूलों के मास्टरों को खुद ही पढना नहीं आता ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती करा कर हम क्या उम्मीद करे, इससे इच्छा तो वे किसी छोटे-मोटे निजी स्कूल में भारी-भरकम फीस देकर पढाना ज्यादा उचित समझते है। आज अगर मध्यप्रदेश की बात करे तो मुख्यमंत्री स्वयं ३० हजार से अधिक शिक्षकों को भर्ती कराने की बात कह चुके है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे यहा आज भी पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं मिल पा रहे है। इसके अलावा शिक्षको के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी मात्र औपचारिकता और रस्म आदायगी बन कर रह जाते है। कोई सार्थक परिणाम इसलिए सामने नहीं आ पाते है क्योंकि बेहतर शिक्षा के लिए जहाँ इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना जरुरी है, वही प्राथमिक और मूलभूत समस्याओं को हल करना और अधिक से अधिक साधन जुटाकर ऐसा वातावरण बनाना की पालकों और बालकों दोनों का विद्यालय के प्रति विश्वास पैदा हो। हर विद्यालय के संचालन की समस्याएँ क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, उन्हें बेहतर बनाने और न्यूनतम संसाधनों में कैसे बेहतर परिणाम आए इस दिशा में सरकार के साथ ही स्थानिय निकायों और शिक्षक पालक संघों को प्रयास करने पडेगे। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्या यह है कि बढी संख्या में बच्चें सामाजिक, आर्थिक कारणों से या तो भर्ती ही नहीं हो पाते है या उन्हें बीच में ही पढाई छोडने पर विवश होना पडता है। मोटे तौर पर अब भी प्रदेश में करीब पौने दो करोड बच्चें है जिन्हें विद्यालय में प्रवेश कराना बाकि है। हालाकि पिछले साल डेढ करोड से अधिक बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया जा चुका था किन्तु बडी संख्या में वे लगातार स्कूल नहीं जा सके। इसका

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

एक कारण यह भी है कि कामकाजी तथा अस्थायी रुप से रहने वाले लोगों के बच्चें कैसे भर्ती हो यह अब भी समस्या बनी हुई है।

८. अनुशंसाये -

शिक्षा के अधिकार लागू हो जाने के बाद उक्त सभी चुनौतियों का निराकरण नितांत आवश्यक हो गया है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए इस प्रकार के उपाय सहयोगी हो सकते है। रुढिवादिता एवं धर्मांधता को दूर करने के लिए स्थानिय विशिष्टताओं को संदर्भ में रखते हुए जनसमूहों के अशिक्षित स्त्री-पुरुषों में प्रौढ शिक्षा का अधिकतम प्रसार एवं शिक्षित लोगों का इस क्षेत्र में सहयोग आवश्यक है। बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्वों का व्यापक प्रसार करना ताकि बालिका शिक्षा के प्रति संकुचित दृष्टिकोण को दूर किया जा सके।

किसी भी शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कडी शिक्षक है । एक शिक्षक का दायित्व है कि वह शिक्षण कार्य इस प्रकार से करे कि बच्चों के मन में लिंग भेद और लिंग आधारित पूर्वाग्रहों का निराकरण हो सके। कक्ष के अंदर और बाहर जाति एवं लैंगिक भेद करने वाले कोई भी कार्य हम न करे और न अन्य किसी को करने दे। सामूहिक क्रियाकलापों में सभी विद्यार्थियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना । जाति और लिंग भेद से हटकर सभी बच्चों को बोलने का समान अवसर देना। शर्मीले बच्चों से, विशेषकर बालिकाओं से प्रश्न पुछकर उन्हें उत्तर देने को प्रोत्साहित करे। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए बराबर प्रोत्साहित करे। बालिकाओं के अभिभावकों को भी इस विषय में जागरुप करे। प्रार्थना स्थल, कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था, पाठ्यसहगामी क्रियाकलापों के आयोजन और अन्य सभी विद्यालयीन कार्यो आदि में बालक-बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करे। कुछ बस्तियों में ऐसे बच्चें भी होते है जो विभिन्न शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त होते है। हमारे शिक्षक इस विषय में सही जानकारी के अभाव में उनको विद्यालय से नही जोड पाते है।

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की सबसे बड़ी चुनौति सरकारी शाला को ठीक करने की है। सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूल जिसमें ज्यादातर कमजोर वर्ग के बच्चें ही आ रहे है, शिक्षकों को वह ढॉचे से संबंधित अन्य व्यक्तियों को इस बात के लिए तैयार कर सकते है कि वह इन बच्चों को सिखाने योग्य समझे और उनमें यह विश्वास हो की यह बच्चें सिख सकते है। हमारा शिक्षा का ढॉचा इस बात से उभर नही पाया है कि शिक्षा के सार्वजनीकरण की अनिवार्यता के चलते हर तरह के बच्चें को स्कूल की प्रक्रिया में शामिल करना जरुरी है। हमारा ढॉचा अभी भी उन्हीं के लिए जो अपने आप पढ सकते है और उनके घर पर सीखने में मदद करने की व सीखने के लिए समय देने की गुंजाइश है यह ढॉचा वंचित, कमजोर ,शैक्षिक रुप से पिछडे वर्गो के बच्चों के अनुभवों, इच्छाओं अपेक्षाओं व क्षमताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। शिक्षकों को यही लगता है कि वह तो सीख लेते थे उनके पास तो घर के काम करने का समय होता था उनके माता-पिता तो उन्हें स्कूल भेजना चाहते थे व शिक्षा के प्रति चिंतित थे उन्हे लगता है कि जब तक स्कूल में आने वाले बच्चों की ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तब तक उन्हें सिखाया नही जा सकता है न सिर्फ शिक्षकों का सामान्य व्यवहार न ही उनके प्रशिक्षण का ढॉचा उन्हें गरीब बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता व संभावनों के प्रति आश्वस्त कर पाता है।

९. उपसंहार -

इस प्रकार इस कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस कानून के प्रति कितने वचनबद्ध है । यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरुक नहीं है अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति में रुचि नही रखते है तो निश्चित रुप में ऐसे कानून को सही अर्थो में धरातल पर नहीं उतार सकते है। यदि हम इस कानून को वास्तविक धरातल पर उतारना चाहते है तो हमे सिर्फ आदेश या निर्देश देने तक सीमित न होकर स्वयं को भी कार्य में बढ-चढ कर सहभागी बनाना होगा। यदि हम विभिन्न उपलब्ध आँकडो का अवलोकन शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में करे तो

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

हम पाते है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति काफी तेजी से हुई है, लेकिन शिक्षा के अधिकार जैसे कानून के आ जाने के बाद हमारी जवाबदारी काफी बढ गई है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उपलब्ध संसाधनों का फिर से नए सिरे से विश्लेषण कर उनका सही प्रबंधन करे। इसके लिए हमें प्रबंधन के साथ कठिन आदेशों एवं निर्देशों को भी लागू करना होगा। समस्या को जानकर सफल प्रबंधन नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की क्रियाओं के द्वारा सभी संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

आज जहाँ सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने की चुनौती है वही लगातार मूल्यांकन की पद्धति अपनाकर बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार कैसे इस दिशा में अच्छे प्रयास किए जा सके यह कोशिश होनी चाहिए। हालांकि प्राथमिक शिक्षा की दिशा में वर्तमान सरकार ने काफी कुछ किया है। उसने विभिन्न अभियानों जैसे स्कूल चलो अभियान, सर्वशिक्षा अभियान आदि के माध्यम से अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में भर्ती करने का प्रयास किया है। सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून बना देने मात्र से ही देश के सभी बच्चों को शिक्षा तब तक नही मिल पाएगी जब तक समाज और सभी नागरिक उसमें अपनी भागीदारी नही निभाएगे।